

वार्षिक प्रतिवेदन

(2013-14)



झारखण्ड लोक सेवा आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन

(वित्तीय वर्ष 2013-2014)



झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची-834001



भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 (2)

के अनुपालन में

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन

(प्रतिवेदन अवधि माह अप्रैल 2013 से माह मार्च 2014 तक)

महामहिम राज्यपाल

झारखण्ड के समक्ष प्रस्तुत करता है।

प्रतिवेदन

प्रस्तावना एवं कृतज्ञता

संस्कृति के पहिये धूल उड़ते चल गए, झारखण्ड की संस्कृति और सभ्यता तथा विकास का रथ कुछ और आगे बढ़ा। पृथक राज्य बनने के पश्चात् इसने अपनी संरचनात्मक संस्थाएं भी विकसित की। विकास की इसी कड़ी में पृथक राज्य झारखण्ड के लिए झारखण्ड लोक सेवा आयोग का गठन राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या-118 दिनांक 16.01.2001 द्वारा किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323(2) के आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग का वर्ष 2013-14 का प्रतिवेदन महामहिम राज्यपाल को प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष हो रहा है। आलोच्य अवधि में आयोग के विभिन्न कृत्यों का सारांश इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

अतीत की अपनी छवि की कैचुली को पीछे छोड़ आयोग कर्तव्यों के पथ पर अग्रसर रहा है। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में सुदूर जिलों में परीक्षा केन्द्र स्थापित कर इसने समाज के हर तबके के अभ्यर्थियों को राहत देने का प्रयास किया है। पंचम संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2013 में प्रारम्भिक परीक्षा के लिए राज्य की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप 10 जिलों में 243 परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे।

आयोग यह अवगत कराना चाहता है कि मानवीय, तकनीकी एवं वित्तीय संसाधनों की कमी के बावजूद आयोग ने अपने दायित्वों का निष्पक्षता, पारदर्शिता और दक्षता से निर्वहन करते हुए निष्ठा के सभी मानकों को कायम रखने का यथासंभव ईमानदार प्रयास किया है।

आयोग झारखण्ड के सभी जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन के अधिकारियों/कर्मचारियों/ विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा दिये गये बहुमूल्य सहयोग के लिए उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता है। उनके इस सहयोग के बिना आयोग के लिए अपने संवैधानिक कार्यों को सम्पन्न करना संभव नहीं हो पाता।

आयोग अपने माननीय सदस्यों/अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति भी अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने कठोर परिश्रम, निष्ठा तथा दक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है।

अध्यक्ष,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
राँची

विषय सूची

क्र०	अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1	अध्याय-01	आयोग का संक्षिप्त इतिहास एवं कार्यकलाप	1
2	अध्याय-02	आयोग सचिवालय की संरचना	2
3	अध्याय-03	आयोग का संगठन	3
4	अध्याय-04	आयोग का कार्य संचालन की प्रविधि एवं प्रक्रिया	4-5
5	अध्याय-05	आयोग का कार्य	6-8
6	अध्याय-06	परीक्षा द्वारा भर्ती	9-19
7	अध्याय-07	साक्षात्कार द्वारा भर्ती	20-21
8	अध्याय-08	प्रोन्नति सम्बंधी मामले	22
9	अध्याय-09	विश्वविद्यालय सम्बंधी नियुक्तियाँ	23
10	अध्याय-10	विभागीय जाँच/ अनुशासनिक कार्यवाही/अपील प्रकरणों का विवरण	24
11	अध्याय-11	सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निस्तारण	25-26
12	अध्याय-12	आयोग के अध्यक्ष/सदस्य/पदाधिकारियों द्वारा किये गए भ्रमण	27-28
13	अध्याय-13	वित्तीय विवरणियाँ	29
14	अध्याय-14	आयोग संबंधित न्यायिक मामले	30
15	अध्याय-15	सेवा शर्तें एवं भर्ती की नियमावली	31
16	परिशिष्ट - I	माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों के संक्षिप्त जीवन वृत्त	32-33
17	परिशिष्ट - II	आयोग कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों की अद्यतन स्थिति	34
18	परिशिष्ट - III	आयोग कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की अद्यतन स्थिति	35-37

अध्याय-01

आयोग का संक्षिप्त इतिहास एवं कार्यकलाप

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची का गठन राज्य सरकार की अधिसूचना सं०-118 दिनांक 16.01.2001 द्वारा किया गया।


सरकार द्वारा 25 जनवरी 2002 को झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की गई। झारखण्ड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में डॉ० फटिक चन्द्र हेम्ब्रम ने 05 फरवरी 2002 को कार्यभार ग्रहण किया। आयोग के गठन से अद्यतन माननीय अध्यक्ष का कार्यकाल निम्नवत् रहा :-

क्र०सं०	माननीय अध्यक्ष का नाम	पदभार ग्रहण होने की तिथि	कार्यकाल समाप्त होने की तिथि
1.	डॉ. फटिक चन्द्र हेम्ब्रम	05.02.2002	14.01.2004
2.	डॉ. दिलीप कुमार प्रसाद (कार्यकारी) अध्यक्ष	22.01.2004	22.09.2004
3.	डॉ. दिलीप कुमार प्रसाद	23.09.2004	13.04.2010
4.	श्री अलोक कुमार सेनगुप्ता (कार्यकारी) अध्यक्ष	14.04.2010	06.01.2011
5.	श्री रमेश चन्द्र कैथल (कार्यकारी) अध्यक्ष	07.01.2011	24.01.2011
6.	डॉ. मो. परवेज हसन (कार्यकारी) अध्यक्ष	25.01.2011	30.06.2011
7.	श्री शिव बसंत	01.07.2011	06.07.2013
8.	डॉ. देवाशीष गुप्त	08.07.2013	वर्तमान

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना 6072 दिनांक 05.07.2013 के आलोक में दिनांक 08.07.2013 से अध्यक्ष के पद पर डॉ० देवाशीष गुप्त कार्य सम्पादन कर रहे हैं।

अध्याय-02

आयोग सचिवालय की संरचना



अध्याय-03

आयोग का संगठन

झारखण्ड लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष एवं चार सदस्यों के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में माननीय अध्यक्ष के अतिरिक्त मात्र दो माननीय सदस्य कार्यरत हैं तथा सदस्य के दो पद यहां रिक्त हैं। आयोग का वर्तमान संगठन निम्न प्रकार है—

क्र०	नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	डॉ० देवाशीष गुप्त	अध्यक्ष	08.07.2013
2	डॉ० एम० परवेज हसन	सदस्य	25.02.2009
3	डॉ० ज्योति लाल उरांव	सदस्य	09.09.2010

अध्याय-04

आयोग के कार्य संचालन की प्रविधि एवं प्रक्रिया

झारखण्ड राज्य की स्थापना 15 नवम्बर 2000 ई0 के उपरांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 (1) के अन्तर्गत तत्कालीन महामहिम राज्यपाल द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के गठन की स्वीकृति दिनांक-16-01-2001 को प्रदान की गयी। आयोग दिनांक 25.01.2002 को अस्तित्व में आया। आयोग में एक अध्यक्ष एवं चार सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी एवं राँची में आयोग के मुख्यालय की स्वीकृति प्रदान की गयी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग के कृत्य :-

320 (3) यथास्थिति, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य सेवा आयोग से -

(क) सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर,

(ख) सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में ताकि एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और अन्तरण करने में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्तों पर और ऐसी नियुक्ति, प्रोन्नति या अन्तरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर,

(ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार की सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले सभी अनुशासनिक विषयों पर, जिसके अन्तर्गत ऐसे विषयों से अभ्यावेदन या याचिकाएँ हैं;

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके सम्बन्ध में, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है या कर चुका है, इस दावे पर कि अपने कर्तव्य के निष्पादन में किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित कार्यों के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा उपगत खर्च का, यथास्थिति, भारत की संचित निधि में से या राज्य की संचित निधि में से संदाय किया जाना चाहिए,

(ङ) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षतियों के बारे में पेंशन अधिनिर्णित किये जाने के लिए किसी दावे पर और ऐस अधिनिर्णय की रकम विषयक प्रश्न पर, परामर्श किया जायेगा और इस प्रकार उसे निदेशित करें, परामर्श देने का लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा, परन्तु अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में तथा संघ के कार्य-कलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के

संबंध में राज्यपाल उन विषयों का विनिर्दिष्ट करने वाले विनियम बना सकेगा, जिनमें साधारणतया या किसी विशिष्ट वर्ग के मामले में या किन्ही विशिष्ट परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

- 320 (4) खण्ड (3) की किसी बात से यह अपेक्षा नहीं होगी कि लोक सेवा आयोग से उस नीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद-16 खण्ड (4) में निर्दिष्ट कोई उपबन्ध किया जाना है या उस रीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद-335 के उपबन्धों को प्रभावी किया जाना है, परामर्श किया जाय।
- 320 (5) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा खण्ड (3) के परन्तुक के अधीन बनाये गये सभी विनियमन बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, यथास्थिति, संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन के समक्ष कम से कम 14 दिन के लिए रखे जायेंगे, और निरसन या संशोधन द्वारा किये गये ऐसे उपान्तरणों के अधीन होंगे जो संसद के दोनों सदन या उस राज्य के विधान मण्डल का सदन या दोनों सदन उस सत्र में करे, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं।
- 321 लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति-यथास्थिति, संसद द्वारा या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ की या राज्य की सेवाओं के संबंध में और किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं के संबंध में भी अतिरिक्त कृत्यों के प्रयोग के लिए उपबंध कर सकेगा।

अध्याय-5 आयोग के कार्य

आयोग एक स्वतंत्र, स्वशासी एवं संवैधानिक संस्था है। फलस्वरूप, अपने कार्यों एवं दायित्वों के संचालन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु सक्षम हैं। आयोग द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 118 दिनांक 16.01.2001 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड लोक सेवा आयोग (कार्यसोमन) विनियमन 2000 प्रतिस्थापित है जिसे पुनः अधिसूचना संख्या 11/लो० से० आ० - 01-03/2013 का० - 789 दिनांक 27.01.2014 द्वारा संशोधित किया गया है।

इसी प्रकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 117 दिनांक 16.01.2001 द्वारा अधिसूचित, झारखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्त) भी यहां प्रतिस्थापित है जिसके प्रावधानों के अनुरूप आयोग कार्य करता है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 6/लो० से० आ० - 103/2001 का०-6818 दिनांक 15.12.2003, अधिसूचना संख्या 6/लो० से० आ० - स्था० -15/2002 का० 3240 दिनांक 10.06.2003, अधिसूचना संख्या 6/लो० से० आ०-103/2001 का० -4664 दिनांक 15.07.2009, अधिसूचना संख्या 6/स्था० (आयोग) वे०पु०-04/2009 का०-9011 दिनांक 03.08.2011 एवं अधिसूचना संख्या 6/लो० से० आ० (प्रत्यर्पण)-11/2012 का०-5811 दिनांक 29.06.2013 द्वारा संशोधित किया गया है।

परीक्षा संचालन

आयोग द्वारा परीक्षा का संचालन मुख्यतः दो स्तरों पर किया जाता है :-

- (1) रिक्तियों के अनुपात में उम्मीदवारों की संख्या अत्याधिक होने पर प्रारम्भिक परीक्षा एवं
- (2) प्रारम्भिक परीक्षा में अर्हित उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा।

प्रारम्भिक परीक्षा राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालय स्थित महाविद्यालयों/विद्यालयों में संबंधित जिलाधिकारी के सहयोग से आयोजित की जाती है एवं इस परीक्षा में अर्हित उम्मीदवारों के लिए सामान्यतया, राँची शहर अवस्थित विभिन्न महाविद्यालयों/विद्यालयों में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है।

उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन

प्रारम्भिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ओ०एम०आर० स्कैनिंग विधि से कम्प्यूटर द्वारा किया जाता है। Answer Key Website पर प्रदर्शित कर उम्मीदवारों या अन्य साधारण जन के सुझाव प्राप्त कर उस पर विशेषज्ञों का मन्तव्य लिया जाता है। लिखित परीक्षा (मुख्य) के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आयोग द्वारा अनुमोदित परीक्षकों द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन से पूर्व Model Answer मुख्य परीक्षक के पर्यवेक्षण में बनाकर परीक्षकों को उपलब्ध कराया जाता है।

परीक्षाफल प्रकाशन

प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षाओं में उम्मीदवारों के कुल लब्धांक एवं विज्ञापन में प्रकाशित सम्बंधित कडिकाओं के आधार पर परीक्षाफल, आयोग के परीक्षा नियंत्रक की देख-रेख में तैयार किया जाता है, जिसे आयोग के अनुमोदनोपरान्त प्रकाशित किया जाता है। सभी परीक्षार्थियों का परीक्षाफल तथा अनुशंसित उम्मीदवारों का Cut off Marks आयोग की website पर प्रकाशन की तिथि से 2 माह के लिए प्रदर्शित किया जाता है। परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सम्पन्न होने के उपरान्त उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर आयोग में आकर उनके उत्तर पुस्तिकाओं को देखने की भी सुविधा दी जाती है।

परीक्षाफल प्रकाशन के बाद अभ्यर्थियों को सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रूल्स ऑफ प्रोसिड्योर 2002 के Chapter-III: Basic Functions of the Commission के Rule-4 (xiii) (l) एवं (m) में परीक्षा के आधार पर मेधा सूची एवं परीक्षाफल तैयार करने तथा अनुशंसा किये जाने से संबंधित प्रावधान हैं।

परीक्षाफल प्रकाशन एवं अनुशंसा भेजे जाने के क्रम में आयोग के वेबसाइट में भी परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की सूची एवं परीक्षार्थियों के अंकों को अपलोड करने की परिपाटी आयोग में रही है। उक्त क्रम में और भी पारदर्शिता तथा अभ्यर्थियों को सही सूचना मिल सके, इसके लिए निम्न व्यवस्था पर आयोग अपनी स्वीकृति प्रदान करती है :-

(क) आयोग द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा के आवेदन प्राप्ति के बाद स्क्रुटिनी के फलस्वरूप विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप आवेदन के साथ सूचना उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में, ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन अस्वीकृत करने के संबंध में आयोग का निर्णय प्राप्त किया जाएगा।

(ख) आवेदन अस्वीकृत होने वाले उम्मीदवारों की सूची अस्वीकृति के कारण के साथ आयोग के वेबसाइट पर अपलोड कर अभ्यर्थियों से 15 दिनों के अन्दर अपील आवेदन देने का निदेश दिया जाएगा। वेबसाइट पर उक्त सूचना प्रकाशन से संबंधित विज्ञप्ति समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को दी जाएगी। अपील अम्यावेदनों पर आयोग के निर्णय के उपरान्त प्रेस विज्ञप्ति द्वारा आयोग के वेबसाइट पर निर्णय अपलोड की सूचना दी जायेगी।

(ग) परीक्षा के उपरान्त संबंधित विभागों को आयोग के स्तर के अनुशंसित किये जाने वाले उम्मीदवारा की सूची कोटिवार, आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

विभागों को भेजे जाने वाले अनुशंसा पत्र की स्कैन फोटो प्रति भी आयोग के वेबसाईट पर जारी की जाएगी।

(घ) आयोग के वेबसाईट पर अनुशंसित उम्मीदवारों के अंतिम कट ऑफ मार्क्स भी कोटिवार अपलोड किया जाएगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा में सम्मिलित सभी उम्मीदवारों (अनुशंसित तथा असफल अभ्यर्थिया सहित) का अंक भी अपलोड किया जाएगा जिसे केवल संबंधित उम्मीदवार प्राप्त अंको का अवलोकन एवं डाउनलोड कर सकें।

(ङ) परीक्षा के उपरांत आयोग द्वारा अपनी अनुशंसा भेजे जाने के समय निम्न सूचनाओं के साथ प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी :-

(i) आयोग के वेबसाईट पर संबंधित परीक्षा के सफल उम्मीदवारों की सूची उपलब्ध है।

(ii) अनुशंसित उम्मीदवारों के कोटिवार कट ऑफ मार्क्स भी आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(iii) परीक्षा में सम्मिलित सफल एवं असफल सभी अभ्यर्थियों के अंक भी आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। संबंधित उम्मीदवार उन्हें प्राप्त अंक का अवलोकन एवं डाउनलोड कर सकते हैं।

(iv) उपरोक्त सूचनाएँ 60 दिनों तक आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी। संबंधित परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्तांक और कट ऑफ मार्क्स के संबंध में आयोग से पत्राचार अनावश्यक होगा।

(v) झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रूल्स ऑफ प्रोसिड्योर, 2002 के Chapter-III, Rule-4 (xiii) के आलोक में परीक्षा के उम्मीदवारों से अकों के पर्नजोड़ तथा अपने उत्तर-पुस्तिका के अवलोकन से संबंधित आवेदन 60 दिनों के अन्दर तक ही स्वीकार्य होगी। इसके बाद किया गया अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।

साक्षात्कार की पद्धति

साक्षात्कार में पूर्ण पारदर्शिता अपनाई जाती है। प्रत्येक साक्षात्कार पर्वद में आयोग के एक सदस्य के अतिरिक्त कम से कम दो विशेषज्ञ होते हैं। उम्मीदवारों को अंक या उनके बारे में अनुशंसा सर्वसम्मति (कन्सेन्सस) के आधार पर दिया जाता है।

आयोग के अन्य कार्य

1. राज्य सेवाओं की सेवा नियमावलियों के प्रख्यापन के पूर्व आयोग का परामर्श
2. अनुशासनिक प्रकरणों पर परामर्श
3. विभागीय प्रोन्नति समिति का आयोजन
4. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति।-

अध्याय-06

परीक्षा द्वारा भर्ती

झारखण्ड लोक सेवा आयोग विभिन्न विभागों के अनुरोध पर विभिन्न राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों में नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का आयोजन करता है। आलोच्य अवधि में पूर्व से प्राप्त एवं नवसृजित नियुक्तियाँ निम्न तालिका में दी गयी है। जिनमें कुछ नियुक्तियाँ पूर्ण कर ली गयी हैं, कुछ लंबित नियुक्तियों के शीघ्र निपटारे हेतु अग्रेतर कारवाई शीघ्रता से पूरी की जा रही है। वर्ष 2011-12 की अवधि में आयोग की परीक्षा शाखा द्वारा निम्नोक्त परीक्षाओं के संबंध में कारवाई की जा चुकी है एवं कुछ प्रक्रियागत है।

1. कनीय अभियंता नियुक्ति परीक्षा 2012

पथ निर्माण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग एवं ऊर्जा विभाग के विभागीय पत्रांक क्रमशः 769 दिनांक-20.03.2010, 877 दिनांक-25.03.2010, 464 दिनांक-01.02.2012 एवं पत्रांक 1205 दिनांक-02.09.2009 के द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2012 प्रकाशित किया गया, जिसके आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त कनीय अभियंता नियुक्ति परीक्षा का लिखित परीक्षा दिनांक-22.07.2012 को दोनों पालियों में आयोजन किया गया। लिखित परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक-30.10.2012 को प्रकाशित किया गया। साक्षात्कार हेतु कुल 1485 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। साक्षात्कार का आयोजन दिनांक-03.12.2012 से 22.12.2012 तक किया गया। अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन दिनांक-12.02.2013 को प्रकाशित किया गया। झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग एवं ऊर्जा विभाग से प्राप्त रोस्टरवार अधियाचना के अनुसार नियुक्ति हेतु अनुरोध दिनांक-06.03.2013 को उक्त विभागों को भेजी गयी जो निम्नवत् है :-

अनुशंसित अभ्यर्थियों की कोटिवार विवरणी

विभाग	पद का नाम	अनारक्षित	अनु० जाति	अनु०जन जाति	पिछड़ा वर्ग-1	पिछड़ा वर्ग-2	कुल अनुशंसित
आयोग के पत्रांक-494, दिनांक-06.03.2013 द्वारा पथ निर्माण विभाग को भेजी गयी अनुशंसा							
पथ निर्माण विभाग	कनीय अभियंता (असैनिक)	190	34	90	26	20	360
आयोग के पत्रांक-495, दिनांक-06.03.2013 द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा जल संसाधन विभाग को भेजी गयी अनुशंसा							
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	कनीय अभियंता (असैनिक)	25	00	01	04	01	31
	कनीय अभियंता (यांत्रिक)	11	02	04	00	00	17
जल संसाधन विभाग	कनीय अभियंता (असैनिक)	00	92	218	82	00	392
	कनीय अभियंता (यांत्रिक)	43	15	37	09	00	104
आयोग के पत्रांक-496, दिनांक-06.03.2013 द्वारा ऊर्जा विभाग को भेजी गयी अनुशंसा							
ऊर्जा विभाग	कनीय अभियंता (इलेक्ट्रीकल)	12	02	02	02	01	19
कुल अनुशंसित		281	145	352	123	22	923

2. द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सीमित उप समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा-2013

द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सीमित उप समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा-2013 हेतु झारखण्ड सरकार के कार्मिक विभाग से अधियाचना प्राप्त हुई, जिसके विरुद्ध विज्ञापन संख्या 09/2010 कुल 131 रिक्त पदों का प्रकाशित किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

रिक्तियाँ

पद का नाम	अनारक्षित	अनु० जाति	अनु०जन जाति	पिछड़ा वर्ग- I	पिछड़ा वर्ग- II	कुल
द्वितीय उप समाहर्ता	29	06	15	08-ओ०बी०सी०		58
तृतीय उप समाहर्ता	05	01	02	01	—	09
चतुर्थ उप समाहर्ता	32	06	17	05	04	64
कुल						131

उपर्युक्त विज्ञापन संख्या 09/2010 के विरुद्ध कुल संशोधित अनुशंसा पत्रांक 424 दिनांक 01.07.2013 कार्मिक विभाग को भेजी गयी जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

पद का नाम	अनारक्षित	अनु० जाति	अनु०जन जाति	पिछड़ा वर्ग- I	पिछड़ा वर्ग- II	कुल
द्वितीय उप समाहर्ता	28	06	15	08-ओ०बी०सी०		57
तृतीय उप समाहर्ता	05	01	02	01	—	09
चतुर्थ उप समाहर्ता	31	06	16	05	04	62
कुल						128

3.चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति

संविदा पर कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी (दंत चिकित्सा सहित) के नियमितिकरण हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग से कुल 410 रिक्त पदों का प्रस्ताव आयोग को प्राप्त हुआ। उक्त परीक्षा में 236 उम्मीदवारों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश-पत्र निर्गत किए गए, जिसमें से 224 उम्मीदवारा ने साक्षात्कार में भाग लिया। उक्त परीक्षा में कुल 218 अभ्यर्थियों को अनुशंसा की गयी। जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

रिक्तियाँ

पद का नाम	अनारक्षित	अनु०जाति	अनु०जनजाति	अत्यन्त पि०व०-1	पि०व०-2	कुल
झारखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी (बेसिक ग्रेड)	206	41	106	33	24	410

आयोग के पत्रांक 1230 दिनांक 04.05.2013 द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की संख्या

अनारक्षित	अनु०जाति	अनु०जनजाति	अत्यन्त पि०व०-1	पि०व०-2	कुल
164	15	27	03	09	218

4.भूतत्ववेत्ता नियुक्ति परीक्षा 2012

विज्ञापन संख्या 28/2012 के आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भूतत्ववेत्ता नियुक्ति परीक्षा का आयोजन किया गया। झारखण्ड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के पत्रांक 1200, दिनांक 20.01.2009, पत्रांक 1631 दिनांक 24.09.2011 एवं पत्रांक 862 दिनांक 20.09.2012 से प्राप्त रोस्टरवार अधियाचना के अनुसार नियुक्ति हेतु अनुशंसा किये जाने वाले पदों की संख्या कोटिवार निम्नवत् है :-

विभाग द्वारा प्राप्त भूतत्ववेत्ता के पद पर नियुक्ति हेतु रिक्तियों का विवरण

अनारक्षित	अनु०जति	अनु०जन जाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-1	पिछड़ा वर्ग-2	कुल
09	05	13	00	00	27

अंतिम तिथि 30.04.2012 तक प्राप्त कुल आवेदन

अनारक्षित	अनु०जति	अनु०जन जाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-1	पिछड़ा वर्ग-2	अस्वीकृत	कुल
274	07	77	10	15	35	418

परीक्षाफल का प्रकाशन दिनांक 19.06.2013 को किया गया था तथा इसमें आयोग के पत्रांक 417 दिनांक 24.06.2013 द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को संख्या निम्न प्रकार थी-

अनारक्षित	अनु०जति	अनु०जन जाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-1	पिछड़ा वर्ग-2	कुल	अभ्युक्ति
09	01	07	00	00	17	न्यूनतम अहर्तांक प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या अनुपलब्ध होने के कारण अनु०जाति कोटि के 04(चार) पद एवं अनु०जनजाति कोटि के 06(छः) पद रिक्त रह गए हैं।

5. औषधि निरीक्षक नियुक्ति परीक्षा 2013

औषधि निरीक्षक पद पर नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक 217(D) दिनांक 13.05.2010 एवं 606 (D) दिनांक 27.07.2012 के द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में विवरणी निम्नवत् है :-

रिक्तियाँ

पद का नाम	भर्ती की प्रक्रिया	अनारक्षित	अनु०जाति	अनु०जन जाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-1	पिछड़ा वर्ग-2	कुल
औषधि निरीक्षक	सीधी भर्ती	12	03	06	02	01	24
	बैकलॉग भर्ती	—	01	05	—	—	06
						कुल	30

प्राप्त कुल आवेदन

अनारक्षित	अनु०जाति	अनु०जन जाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-1	पिछड़ा वर्ग-2	अस्वीकृत	कुल
492	07	15	32	28	123	697

आयोग के पत्रांक 3961 दिनांक 26.11.2013 द्वारा अनुशासित अभ्यर्थियों की संख्या निम्न प्रकार थी -

पद का नाम	भर्ती की प्रक्रिया	अनारक्षित	अनु०जाति	अनु०जन जाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-1	पिछड़ा वर्ग-2	कुल
औषधि निरीक्षक	सीधी भर्ती	12	03	06	02	01	24
	बैकलॉग भर्ती	—	01	05	—	—	06
						कुल	30

6. सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा 2012

विज्ञापन संख्या 26/2012 के आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा के संदर्भ में लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक-20.03.2013, 21.03.2013 एवं 22.03.2013 को दोनों पालियों में किया गया। लिखित परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक-06.07.2013 को प्रकाशित किया गया। साक्षात्कार हेतु कुल 365 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। साक्षात्कार का आयोजन दिनांक-29.07.2013 से 04.08.2013 तक किया गया। अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन दिनांक-21.08.2013 को प्रकाशित किया गया। झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग एवं ऊर्जा विभाग से प्राप्त रोस्टरवार अधियाचना के अनुसार नियुक्ति हेतु अनुशंसा दिनांक-02.09.2013 उक्त विभागों को भेजी गयी जो निम्नवत् है :-

रिक्तियों के अनुरूप अनुशंसाएँ

आयोग के पत्रांक-3092 दिनांक-02.09.2013 द्वारा पथ निर्माण विभाग को भेजी गयी अनुशंसा							
विभाग का नाम	पद का नाम	अनारक्षित	अनु०जाति	अनु०जन जाति	पि०व०-1	पि०व०-2	कुल अनुशंसित
पथ निर्माण विभाग	सहायक अभियंता (असैनिक)	30	00	31	00	00	61
आयोग के पत्रांक-3093 दिनांक-02.09.2013 द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को भेजी गयी अनुशंसा							
विभाग का नाम	पद का नाम	अनारक्षित	अनु०जाति	अनु०जन जाति	पि०व०-1	पि०व०-2	कुल अनुशंसित
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	सहायक अभियंता (असैनिक)	17	01	03	00	00	21
	सहायक अभियंता (यांत्रिक)	01	00	01	00	00	02
आयोग के पत्रांक-3094 दिनांक-02.09.2013 द्वारा ऊर्जा विभाग को भेजी गयी अनुशंसा							
विभाग का नाम	पद का नाम	अनारक्षित	अनु०जाति	अनु०जन जाति	पि०व०-1	पि०व०-2	कुल अनुशंसित
ऊर्जा विभाग	कनीय अभियंता (इलेक्ट्रीकल)	02	00	03	00	00	05
आयोग के पत्रांक-3095 दिनांक-02.09.2013 द्वारा जल संसाधन विभाग को भेजी गयी अनुशंसा							
विभाग का नाम	पद का नाम	अनारक्षित	अनु०जाति	अनु०जन जाति	पि०व०-1	पि०व०-2	कुल अनुशंसित
जल संसाधन विभाग	सहायक अभियंता (असैनिक)	00	02	60	03	00	65
	सहायक अभियंता (यांत्रिक)	00	06	16	04	00	26
कुल अनुशंसित		50	09	114	07	00	180

सहायक अभियंता परीक्षा से संबंधित रिक्तियों की संख्या एवं पदों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों की संख्या संकायवार निम्नवत् है :-

प्राप्त आवेदन

सहायक अभियंता (असैनिक)	सहायक अभियंता (यांत्रिक)	सहायक अभियंता (विद्युत)	सहायक अभियंता (इलेक्ट्रॉनिक्स)	सहायक अभियंता (प्रोडक्सन)	बिना ट्रेड के प्राप्त आवेदन	कुल	
कुल प्राप्त आवेदन	2109	702	236	1	1	33	3082

आयोग के पत्रांक-3092, 3093, 3094 तथा 3095, सभी दिनांक-02.09.2013 द्वारा क्रमशः पथ निर्माण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ऊर्जा विभाग, एवं जल संसाधन विभाग को, अनुशंसा भेजी गयी।

अभियंत्रण	विभाग	अनारक्षित	पि०व-1	पि०व-2	अनु०जाति	अनु०जन जाति	कुल पदों की सं०
सहायक अभियंता (असैनिक)	जल संसाधन विभाग	-	03	00	02	60	65
सहायक अभियंता (असैनिक)	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	17	-	-	01	03	21
सहायक अभियंता (असैनिक)	पथ निर्माण विभाग	30	-	-	-	31	61
सहायक अभियंता (यांत्रिकी)	जल संसाधन विभाग	-	04	-	06	16	26
सहायक अभियंता (यांत्रिकी)	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	01	-	-	-	01	02
सहायक अभियंता वैद्युतिक (इलेक्ट्रिकल)	ऊर्जा विभाग	02	-	-	-	03	05
						कुल	180

- पथ निर्माण विभाग (सिविल) के पद सहायक अभियंता (असैनिक) के अनारक्षित कोटि के 01 पद को विकलांग अभ्यर्थी के अनुपलब्धता के कारण रिक्त रखा गया।

7.सहायक लोक अभियोजक परीक्षा-2013

सहायक लोक अभियोजक प्रतियोगित परीक्षा-2013 हेतु झारखण्ड सरकार के गृह विभाग के पत्रांक-1342 दिनांक 29.04.2010 से अधियाचना प्राप्त हुई थी, जिसके विरुद्ध विज्ञापन संख्या 25/2012 कुल 56 रिक्त पदों का प्रकाशित किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

रिक्तियाँ

पद का नाम	अनारक्षित	अनु०जाति	अनु०जनजाति	पिछड़ा वर्ग-।	पिछड़ा वर्ग-॥	कुल
सहायक लोक अभियोजक	31	05	22	00	00	56
कुल						56

आयोग के पत्रांक-647/C.E दिनांक-03.10.2010 द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन संख्या 25/2012 के विरुद्ध कुल अनुशंसा की विवरणी निम्नवत् है:-

पद का नाम	अनारक्षित	अनु०जाति	अनु०जनजाति	पिछड़ा वर्ग-।	पिछड़ा वर्ग-॥	कुल
सहायक लोक अभियोजक	31	03	07	00	00	41
कुल						41

नोट:- न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण अनु०जनजाति कोटि में 15 पदों के विरुद्ध अनुशंसा नहीं की जा सकी।

8.पंचम संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2013

विज्ञापन संख्या 06/2013 के विरुद्ध 15 दिसम्बर, 2013 को पंचम असैनिक सेवा प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की गयी। जिसमें 1,15,233 आवेदकों को प्रवेश पत्र निर्गत किए गए जिसमें से 73,288 उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया। मुख्य परीक्षा हेतु 3,898 परीक्षार्थी चयनित किए गए। पंचम असैनिक सेवा परीक्षा से संबंधित तथ्य निम्नवत् है :-

रिक्तियाँ

SL. No	Service	Total vacancies	UNR	ST	SC	OBC	BC-I	BC-II	Women reserved seat	Other: Sports/Ex-Serviceman	Handicapped reserved		
											Blind	Dumb/Deaf	Locomotive
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	झारखण्ड प्रशासनिक सेवा	91	62	11	08	-	11	00	05%	02	01	01	01
2	झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा	41	18	08	05	-	02	08	-	-	-	-	-
3	झारखण्ड वित्त सेवा	38	27	09	02	-	00	00	UNR-03 ST-01	UNR-02 ST-01	-	UNR-01 ST-01	-
4	झारखण्ड राज्य कारा सेवा	09	06	02	01	-	00	00	-	-	-	-	-
5	झारखण्ड श्रम सेवा	20	10	05	02	-	01	01	-	-	-	-	-
6	झारखण्ड प्रोबेशन सेवा	29	18	08	02	01	-	-	-	-	-	-	-
7	झारखण्ड उत्पाद सेवा	08	04	03	-	-	01	-	-	-	-	-	-
8	सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा	15	08	03	02	-	01	01	-	-	-	-	-
9	नियोजन/ जिला नियोजन पदाधिकारी	26	13	07	03	-	01	02	-	-	-	-	-
योग		277	166	56	25	01	17	12	Horizontal Reservation				

प्राप्त आवेदन

अनारक्षित	बी0सी01	बी0सी0-2	एस0सी0	एस0टी0	कुल
64852	8990	8608	8948	23835	1,15,233

प्रारम्भिक परीक्षाफल दिनांक 13.02.2014 को प्रकाशित किया गया जो निम्न प्रकार था-

अनारक्षित	बी0सी01	बी0सी0-2	एस0सी0	एस0टी0	कुल
2290	272	205	357	774	3,898

- मुख्य परीक्षा आयोग के पत्रांक-451/प0नि0को0, दिनांक 14/06/2014 के आलोक में स्थगित है।

**9. झारखण्ड न्यायिक सेवा – सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
नियुक्ति परीक्षा 2013**

झारखण्ड न्यायिक सेवा-सिविल जज (जूनियर डिवीजन) हेतु कार्मिक विभाग से अधियाचना प्राप्त हुई है, जिसके विरुद्ध विज्ञापन संख्या 04/2013 कुल 116 रिक्त पदों का प्रकाशित किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

रिक्तियाँ

पद का नाम	अनारक्षित	अनु०जाति	अनु०जन जाति	पिछड़ा वर्ग- I	पिछड़ा वर्ग- II	कुल
जूनियर डिवीजन	58	12	30	09	07	116

प्रारम्भिक परीक्षाफल दिनांक 27.05.2014 को प्रकाशित किया गया जो निम्न प्रकार है:-

कोटि	अनारक्षित	अनु० जाति	अनु० जन जाति	पिछड़ा वर्ग- I	पिछड़ा वर्ग- II	कुल
मुख्य परीक्षा हेतु चयनित उम्मीदवार	961	183	399	140	108	1791

- मुख्य परीक्षा की घोषित तिथि 19-20 जुलाई 2014 निर्धारित को गई है।

10. चिकित्सा पदाधिकारी (मूल कोटि) बैकलॉग नियुक्ति परीक्षा

स्वास्थ्य, शिक्षा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक 145(3) दिनांक 15.01.2013 के द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में विज्ञापन संख्या 05/2013 के आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा पदाधिकारी (मूल कोटि) बैकलॉग परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। झारखण्ड सरकार के स्वास्थ्य, शिक्षा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग से रोस्टरवार प्राप्त अधियाचना के अनुसार नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

रिक्तियाँ

पद का नाम	अनारक्षित	अनु०जति	अनु०जन जाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-1	पिछड़ा वर्ग-2	कुल
चिकित्सा पदाधिकारी (मूल कोटि) बैकलॉग नियुक्ति	00	29	07	28	07	71

प्राप्त कुल आवेदन

अनारक्षित	अनु०जति	अनु०जन जाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-1	पिछड़ा वर्ग-2	कुल
00	39	62	31	33	165

- परीक्षा के आयोजन हेतु प्रक्रिया जारी है।

अध्याय-07

साक्षात्कार द्वारा भर्ती

कृषि निदेशक

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के पत्रांक-1855, दिनांक-16.07.2011 के आलोक में कृषि निदेशक के कुल 01 पद पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा मई 2012 में आवेदन आमंत्रित किया गया, इसके विरुद्ध कुल 17 (सत्रह) आवेदन प्राप्त हुए हैं। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में लंबित वाद संख्या wp(s)No.1637/2013 का अंतिम न्यायदेश पारित नहीं होने के कारण साक्षात्कार हेतु परीक्षा की अग्रेतर कारवाई स्थगित है।

जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / जिला मत्स्य पदाधिकारी / व्याख्याता

पशुपालन एवं मत्स्य विकास विभाग के पत्रांक-33, दिनांक-15.01.2011 के आलोक में विज्ञापन संख्या-16/2011, दिनांक-21.07.2011 आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसमें जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / जिला मत्स्य पदाधिकारी / व्याख्याता के कुल 14 पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा जुलाई 2011 में आवेदन आमंत्रित किया गया, जिसके विरुद्ध कुल 305 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन पत्रों की स्क्रूटिनी कर साक्षात्कार हेतु अग्रेतर कारवाई की जा रही है। अपील आवेदन प्राप्त है तथा अपील आवेदन पर विचारोपरांत साक्षात्कार की तिथि निर्धारित की जाएगी।

राजकीय पोलिटेक्निक / राजकीय महिला पोलिटेक्निक संस्थान में -

प्राचार्य की नियुक्ति

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के पत्रांक-860, दिनांक-14.03.2013 द्वारा राजकीय पोलिटेक्निक / राजकीय महिला पोलिटेक्निक संस्थानों में प्राचार्य के कुल 13 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना प्राप्त है। विज्ञापन के प्रकाशन की कारवाई की जा रही है।

व्याख्याता की नियुक्ति

विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग के पत्रांक-3369, दिनांक-04.12.2013 द्वारा राजकीय पोलिटेक्निक/राजकीय महिला पोलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता के कुल 80 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति एवं बैकलॉग की कुल 08 पदों हेतु अधियाचना प्राप्त है, विज्ञापन के प्रकाशन की कारवाई की जा रही है।

विभागाध्यक्ष की नियुक्ति

विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग के पत्रांक-3557, दिनांक-23.12.2013 द्वारा राजकीय पोलिटेक्निक/राजकीय महिला पोलिटेक्निक संस्थानों में विभागाध्यक्ष के कुल 17 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की अधियाचना प्राप्त है। विज्ञापन के प्रकाशन की कारवाई की जा रही है।

बी०आई०टी० सिन्दरी, प्राध्यापक की नियुक्ति

विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग के पत्रांक-1051, दिनांक-13.05.2014 द्वारा बी०आई०टी० सिन्दरी, में प्राध्यापक के कुल 25 रिक्त पदों की नियमित नियुक्ति एवं बैकलॉग की कुल 04 पदों के लिए अधियाचना प्राप्त है जिसकी समीक्षा की जा रही है।

अध्याय-08

प्रोन्नति सम्बंधी मामले

झारखण्ड लोक सेवा आयोग कार्य परिसीमन नियमावली 2000 के अनुसार विनिर्दष्ट प्रोन्नति के मामलों से संबंधित आलोच्य अवधि 2013-14 में निम्नांकित विभागों के लिए अधियाचित प्रोन्नति के प्रस्ताव आयोग के स्तर पर विभागीय प्रोन्नति समिति के द्वारा अनुशंसित किए गए :-

क्रम संख्या	विभाग का नाम	प्रोन्नति के लिए अधियाचित पद का नाम	प्रोन्नति के अधियाचित पदों की संख्या	अनुशंसित प्रोन्नति की संख्या
1	जल संसाधन विभाग	कार्यपालक अभियंता (असैनिक)	52	51
2	कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग	अवर सचिव (सचिवालय सेवा)	140	24
3	पथ निर्माण विभाग	सहायक अभियंता (असैनिक)	125	106
4	गृह विभाग	पुलिस उपाधीक्षक	50 + 3	53
5	पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	मुख्य अभियंता	2	2
कुल			272	236

अध्याय—09

विश्वविद्यालय सम्बंधी नियुक्तियाँ

अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक की अवधि में विश्वविद्यालयों में विभिन्न पदों पर प्रोन्नति एवं असहमति सम्बंधी अनुशंसाएँ की गयी।

क्र०	पद का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	प्रोन्नति में सहमति	प्रोन्नति में असहमति
10 वर्षीय कालबद्ध प्रोन्नति योजना				
1	उपाचार्य	राँची विश्वविद्यालय, राँची	01	—
2	उपाचार्य	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग	01	—
मेधा प्रोन्नति योजनान्तर्गत प्रोन्नति				
1	विश्वविद्यालय प्राचार्य	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग	01	—
कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत प्रोन्नति				
1	व्याख्याता (वरीय वेतनमान)	राँची विश्वविद्यालय, राँची	02	—
2	व्याख्याता (वरीय वेतनमान)	सिद्धू-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका	01	—
3	व्याख्याता (प्रवर कोटि)	राँची विश्वविद्यालय, राँची	02	02
4	उपाचार्य	राँची विश्वविद्यालय, राँची	—	01
5	उपाचार्य	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग	07	05
6	उपाचार्य	कोल्हाण विश्वविद्यालय, चाईबासा	—	01
7	विश्वविद्यालय प्राचार्य	राँची विश्वविद्यालय, राँची	01	02
8	विश्वविद्यालय प्राचार्य	सिद्धू-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका	—	04
		कुल	16 (सोलह)	15 (पंद्रह)

कुल अनुशंसाएँ — 16 (सोलह)

कुल असहमति — 15 (पंद्रह)

अध्याय – 10

विभागीय जाँच/अनुशासनिक कार्रवाई/अपील प्रकरणों का विवरण अनुशासनिक मामले

क्र० सं०	विभाग का नाम	पद का नाम	वेतन कटौती/ पेंशन कटौती/ बर्खास्तगी/पदावनति के कुल प्राप्त प्रस्ताव	आयोग की सहमति
1	2	3	4	5
1	स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग एवं परिवार कल्याण	चिकित्सा पदाधिकारी	164 (बर्खास्तगी के प्रस्ताव)	164
2	कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग	झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी	4 (बर्खास्तगी के प्रस्ताव – 2 एवं पेंशन कटौती के प्रस्ताव – 2)	6
		कार्यपालक दण्डाधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी	1 (पेंशन कटौती का प्रस्ताव)	
		जिला आपूर्ति पदाधिकारी	1 (बर्खास्तगी का प्रस्ताव)	
3	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	पशुचिकित्सा पदाधिकारी	3 (बर्खास्तगी के प्रस्ताव)	7
		सहायक परियोजना पदाधिकारी	1 (बर्खास्तगी का प्रस्ताव)	
		प्रबंधक (सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र)	1 (बर्खास्तगी का प्रस्ताव)	
		प्रबंधक (कुक्कुट प्रजनन क्षेत्र)	1 (बर्खास्तगी का प्रस्ताव)	
		पशुपालन पदाधिकारी	1 (बर्खास्तगी का प्रस्ताव)	
4	वाणिज्य कर विभाग	सहायक आयुक्त सम्प्रति वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त	1 (पदावनति का प्रस्ताव)	1
5	पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	मुख्य अभियंता पेय जल	1 (पेंशन कटौती का प्रस्ताव)	1
कुल			179	179

- प्राप्त कुल 179 प्रस्तावों में सभी में आयोग की सहमति दी गई है।

अध्याय – 11
सूचना अधिकार अधिनियम 2005

JHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION
CIRCULAR ROAD, RANCHI

It has been resolved by Jharkhand Public Service Commission that following information's relating to confidential items which are exempted under sec section 8 (i) (e) and (g) of the Right to Information act, 2005 will not be disseminated :-

- 1) Name (s) & other particulars of any paper- Setter, Examiner/ Head Examiner, Moderator of recruitment examinations and preliminary Witten Tests in Selection Cases.
- 2) Name (s) and other particulars of Advisor/ Expert/Board Members & Government Representative invited by the Commission to assist the Commission in the Interview Boards/ personality Tests.
- 3) Information regarding marks secured by the candidates of any Recruitment Examination or any paper of a Recruitment Examination, the Examination process of which has not ended and allotment completed.
- 4) Cut off marks of any individual Recruitment Examination/ Preliminary examination / Written Examination for short listing of candidates called for interview prior to publication of results.
- 5) Any information regarding name, number of candidates & their particulars of different recruitment examination & selection cases.
- 6) Proceeding relating to promotion, Selection & Disciplinary cases.
- 7) Name & particulars of the press where sensitive material e.g. papers, Test Booklets, Answer Sheets, OMRs etc. are printed.
- 8) Access to the answer Script/ Sheets taking different recruitment Examination/Preliminary Written Test/ Screening / Departmental Examination after expiry of 60 days from the date of publication of the final result of relevant examination.
- 9) File notings of confidential nature.
- 10) Annual Confidential Report rating in respect of officers and merit rating on assessment of Annual Confidential Reports in promotion cases.

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निस्तारण

झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2013-14 में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त वादों का निस्तारण निम्न प्रकार है :-

(1) जन सूचना पदाधिकारी कार्यालय

क्र० सं०	वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निष्पादित आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
1.	2013 (अप्रैल से दिसम्बर)	620	591	29
2.	2014 (जनवरी से मार्च)	494	476	18

(2) प्रथम अपीलीय पदाधिकारी कार्यालय

क्र० सं०	वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निष्पादित आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
1.	2013 (अप्रैल से दिसम्बर)	140	128	12
2.	2014 (जनवरी से मार्च)	29	15	14

(3) द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी कार्यालय (राज्य सूचना आयोग में)

क्र० सं०	वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निष्पादित आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
1.	2013 (अप्रैल से दिसम्बर)	254	30	224
2.	2014 (जनवरी से मार्च)	93	06	87

अध्याय-12

आयोग के अध्यक्ष/सदस्य/पदाधिकारियों द्वारा किये गए भ्रमण

झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य/पदाधिकारियों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग /राज्य लोक सेवा आयोगों में गमन तथा संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा अध्यक्ष/सदस्य/पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों के आगमन का विवरण:-

क्र० स०	तिथि	कार्यविवरणी
1.	29.11.2013	माननीय अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चतुर्थ वार्षिक स्थापना दिवस पर संघ लोक सेवा आयोग वक्तव्य समारोह में झारखण्ड लोक सेवा आयोग माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यों को आमंत्रण दिये जाने पर आयोजित प्रशासन पर वक्तव्य श्रृंखला के समारोह में माननीय अध्यक्ष, झारखंड लोक सेवा आयोग शामिल हुए।
2.	08.01.2014	माननीय अध्यक्ष, झारखंड लोक सेवा आयोग ने बिहार लोक सेवा आयोग का भ्रमण विभिन्न विन्दुओं पर विचार विमर्श हेतु किया।
3.	28.02.2014	माननीय अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सूचना आयोग के अध्यक्षों के लिए आयोजित 16 वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन में सहभागिता हेतु आमंत्रित किए जाने पर पंचकुला, हरियाणा में आयोजन में माननीय अध्यक्ष, झारखंड लोक सेवा आयोग शामिल हुए।

श्री पिन्टू मुखर्जी, विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा किये गए भ्रमण कार्यक्रम :-

क्र० स०	तिथि	कार्यविवरणी
1.	20-22 जनवरी 2014	झारखण्ड लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली एवं परीक्षा की पद्धति को उन्नत करने हेतु जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग मुम्बई का भ्रमण किया।

श्री सौरव कुमार सिन्हा, अवर सचिव सह उप परीक्षा नियंत्रणक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा किये गए भ्रमण कार्यक्रम :-

क्र० स०	तिथि	कार्यविवरणी
1.	10-11 फरवरी 2014	झारखण्ड लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली एवं परीक्षा की पद्धति को उन्नत करने हेतु जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में कर्नाटक लोक सेवा आयोग बंगलुरु का भ्रमण किया।
2.	13-14 फरवरी 2014	झारखण्ड लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली एवं परीक्षा की पद्धति को उन्नत करने हेतु जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग हैदराबाद का भ्रमण किया।

अध्याय-13

वित्तीय विवरणियाँ

वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के वित्तीय विवरण

क्र० सं०	इकाई	विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2012-13		वित्तीय वर्ष 2013-14	
			प्राप्त आबंटन	प्राप्त आबंटन	व्यय की गई कुल राशि	सरकार को प्रत्यर्पित राशि
1	वेतन	34N205100102010101	1,11,09,000.00	3,52,00,000.00	2,40,58,842.00	1,11,41,158.00
2	जीवनयापन भत्ता		64,29,000.00			
	क्रमांक 1 एवं 2 का योग		1,75,38,000.00			
3	संवैदा भत्ता	34N205100102010108	66,00,000.00	66,00,000.00	58,59,572.00	7,40,428.00
4	एल0टी0सी0	34N205100102010112	2,40,000.00	2,40,000.00	22,186.00	2,17,814.00
5	देशीय यात्रा व्यय	34N205100102010213	4,50,000.00	4,50,000.00	2,99,783.00	1,50,217.00
6	कार्यालय व्यय	34N205100102010315	23,00,000.00	23,00,000.00	19,20,579.00	3,79,421.00
7	मशीनरी एवं संपकरण	34N205100102010317	30,00,000.00	30,00,000.00	18,48,516.00	11,51,484.00
8	मुद्रण	34N205100102010319	1,00,00,000.00	75,00,000.00	-	75,00,000.00
9	विज्ञापन एवं प्रचार	34N205100102010328	1,00,00,000.00	50,00,000.00	48,57,382.00	1,42,618.00
10	व्यवसायिक सेवाएँ	34N205100102010329	1,49,00,000.00	1,25,00,000.00	96,72,408.00	28,27,592.00
11	दूरभाष	34N205100102010333	3,00,000.00	3,00,000.00	1,91,640.00	1,08,360.00
12	बर्दी	34N205100102010334	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
13	विद्युत व्यय	34N205100102010337	4,40,000.00	4,40,000.00	4,25,112.00	14,888.00
14	आतिथ्य व्यय	34N205100102010338	8,75,000.00	7,00,000.00	5,34,784.00	1,65,216.00
15	मोटर गाड़ी ईंधन एवं मरम्मत	34N205100102010442	9,00,000.00	9,00,000.00	6,68,466.00	2,31,534.00
16	विधि प्रसार	34N205100102010760	25,00,000.00	25,00,000.00	24,58,349.00	41,651.00
	कुल		7,00,63,000.00	7,76,50,000.00	5,28,17,619.00	2,48,32,381.00

अध्याय-14

आयोग से सम्बंधित न्यायिक मामले

झारखण्ड लोक सेवा आयोग से संबंधित न्यायिक मामलों का विवरण निम्न प्रकार हैं :-

माह अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक

क्र०स०	न्यायालय	कुल वादों की संख्या	निस्तारित वादों की संख्या	लम्बित वादों की संख्या
1.	उच्च न्यायालय राँची	194	30	164
2.	उच्चतम न्यायालय दिल्ली	00	01	04
3.	राज्य सूचना आयोग राँची	347	36	311
4.	सी०बी०आई०	01	01	00

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा डब्लू० पी० एस० (पी० आई० एल०) 3594/2011; के बुद्धदेव उराँव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 14.06.2014 को पारित आदेश के अनुश्रवण में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के द्वारा आयोग के स्तर से आयोजित/संचालित निम्न परीक्षाओं/विन्दुओं की जाँच की जा रही है :-

परीक्षा/विन्दुओं के नाम	विज्ञापन सं०	अनुशंसा प्रषण
A. प्रथम संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा	16/2002-03	31.03.2006 को अनुशंसा प्रेषित।
B. द्वितीय संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा	07/2005	पत्रांक-522, एवं दिनांक-15.04.2008 को अनुशंसा प्रेषित
C. व्याख्याता नियुक्ति परीक्षा	01/2007	पत्रांक-27, दिनांक- 14.01.2008 को अनुशंसा प्रेषित।
D. बाजार पर्यवेक्षक परीक्षा	11/2006	पत्रांक-533, एवं दिनांक-25.04.2008 को अनुशंसा प्रेषित।
E. सहकारिता प्रसार पदाधिकारी / वरीय अंकक्षण प्रसार पदाधिकारी परीक्षा	16/2006	पत्रांक-214, दिनांक-11.03.2010 को अनुशंसा प्रेषित।
F. राजकीय फार्मसी में प्राचार्य/प्राध्यापक एवं व्याख्याता नियुक्ति परीक्षा	09/2007	पत्रांक 748, एवं दिनांक- 18.06.2008 को अनुशंसा प्रेषित
G. सहायक अभियन्ता/ कनीय अभियन्ता नियुक्ति परीक्षा	12/2002-03	पत्रांक-828, दिनांक-09.07.2007 को अनुशंसा प्रेषित।
H. प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा	05/2007	पत्रांक-606, दिनांक-06.06.2009 को अनुशंसा प्रेषित।
I. प्रथम सीमित उप समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा	05/2005	परीक्षाफल प्रकाशित नहीं हुई है अतएव अनुशंसा नहीं हुई।
J. उप कुलसचिव नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा	2/वि०वि०/2004 एवं 13/2006	29.03.2005 एवं 28.02.2007 को अनुशंसा प्रेषित।
K. चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा	16/2008	पत्रांक-1171, एवं दिनांक -29.09.2009 को अनुशंसा प्रेषित
L. वित्तीय अनियमितता	-	-

अध्याय-15

सेवा शर्तें एवं भर्ती की नियमावली

झारखण्ड लोक सेवा आयोग में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर वह सभी शर्तें लागू होती हैं, जो झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा लागू की गयी हैं। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के अधिसूचना ज्ञापांक-6/लो0 से0 आ0-103/2000 का0-117, दिनांक 16.01.2001 के द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्तें) विनियम-2000 अधिसूचित है। इस अधिसूचना में भारतीय संविधान की धारा 318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड माननीय राज्यपाल ने विनियमावली बनायी है जिसमें झारखण्ड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा-शर्तें निर्धारित की गयी हैं तथा आयोग के कर्मचारीवृन्द और उनकी सेवा-शर्तों के बारे में उपबन्ध किया गया है।

परिशिष्ट-I

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
माननीय अध्यक्ष

डॉ० देवाशीष गुप्त

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-6072 दिनांक-05.07.2013 के द्वारा डॉ० देवाशीष गुप्त, (भा०प्र०से०), सेवानिवृत्त को झारखण्ड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अधिसूचित किया गया। इस अधिसूचना के आलोक में (डॉ० देवाशीष गुप्त दिनांक-08.07.2013 से अब तक झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग माननीय सदस्यगण

डा० एम० पी० हसन

झारखण्ड सरकार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-1327, दिनांक 25/02/2009 के द्वारा डॉ० मो० परवेज हसन (प्राध्यापक - मनोविज्ञान, राँची विश्वविद्यालय) को झारखण्ड लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में अधिसूचित किया गया। इस अधिसूचना के आलोक में डॉ० मो० परवेज हसन ने दिनांक 25/02/2009 के अपराहन में झारखण्ड लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में अपना पदभार ग्रहण किये। पुनः कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-849, दिनांक 19 फरवरी 2011 के द्वारा डॉ० मो० परवेज हसन को कार्यकारी अध्यक्ष अधिसूचित किया गया तथा ये कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर 30/06/2011 तक कार्यरत रहे एवं वर्तमान में झारखण्ड लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद पर कार्यरत हैं।

डा० ज्योति लाल उराँव

डा० ज्योति लाल उराँव विगत 31 वर्षों से शिक्षण से जुड़े रहे हैं। इन्होंने पी.एच.डी. की उपाधि "Indo-Tamil Problem in Sri Lanka in 1993" के विषय में राँची विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की है। इन्होंने प्रवक्ता के रूप में सत कोलम्बस महाविद्यालय, हजारीबाग में अपना योगदान दिया। इन्होंने झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-5205 दिनांक 28/08/2010 के अनुपालन में दिनांक 09/09/2010 को झारखण्ड लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद पर योगदान दिया। पूर्व में ये 1.) क०सी०बी० कॉलेज बेड़ा 2.) सिमडेगा कॉलेज, सिमडेगा एवं 3) बिरसा कॉलेज, खूँटी के प्राचार्य के रूप में कार्यरत रहे। सी०सी०डी०सी० के पद पर राँची विश्वविद्यालय में कार्यरत रहे। प्रो०वी०सी० एच वी०सी० के पद पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में कार्यरत रहे।

इनके कुछ लेख प्रकाशित हैं और ये स्वयं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं।

परिशिष्ट-II

आयोग सचिवालय में कार्यरत पदाधिकारियों की अद्यतन स्थिति

क्र० सं०	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की सं०	कार्यरत पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	सचिव (भा०प्र०से०/रा०प्र०से०) (अपर सचिव/संयुक्त सचिव)	01	01	00	श्री मनोज कुमार झा, भा०प्र०से०	
2	परीक्षा नियंत्रक (संयुक्त सचिव स्तर) (रा०प्र०से०)	01	01	00	श्री विवेक नारायण अखौरी	
3	उप सचिव (रा०प्र०से०)	02	01	01	श्री बदीनाथ चौबे	
4	विधि पदाधिकारी (उप सचिव स्तर)	01	01	00	श्री अशोक कुमार मिश्रा (संविदा)	सेवानिवृत्त, संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
5	उप परीक्षा नियंत्रक (अवर सचिव स्तर)	02	01	02	-	
6	विशेष कार्य पदाधिकारी	00	01	-	श्री पिन्टू मुखर्जी (संविदा)	सेवानिवृत्त, संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
7	अवर सचिव	03	02	01	1. गोपी नन्दन प्रसाद	अवर सचिव के रूप में पदस्थापित। आयोग द्वारा उप परीक्षा नियंत्रण के रूप में अधिसूचित।
					2. श्रीमती कावेरी घोष	सेवानिवृत्त, संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
8	प्रशाखा पदाधिकारी	10	03	07	1. श्री अरविन्द कुमार झा	सेवानिवृत्त संविदा पर कार्यरत संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
					2. श्री महेश्वर पासवान	
					3. श्री रामेश्वर लेयांगी	अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रोटोकॉल पदाधिकारी का कार्य भी देखते हैं।
					4. श्री ओम प्रकाश तिवारी	
9	प्रोटोकॉल पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी स्तर)	01	00	01		
10	प्रोग्रामर सह डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर	01	00	01		
11	बजट सह लेखा पदाधिकारी	01	01 (संविदा)	00	श्री राजीव रंजन प्रसाद (संविदा)	सेवानिवृत्त, बजट सह लेखा पदाधिकारी के एक रिक्त पद के विरुद्ध संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
12	अध्यक्ष के आप्त सचिव (रा०प्र०से०)	01	00	01		


परिशिष्ट-III

आयोग सचिवालय में कार्यरत कर्मियों की अद्यतन स्थिति

क्र० सं०	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की सं०	कार्यरत कर्मचारी	अभ्युक्ति
1	सहायक	20	10	10	श्री आशुतोष कुमार राय श्री देवानन्द जी चौधरी श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डेय सुश्री नीलम कुमारी श्री मुकेश रजक श्री भूपेन्द्र कुमार अनुराग श्री पंकज कुमार सुश्री राधा रानी हाँसदा श्री मनोज तिकी श्री प्रकाश कुमार महतो	
2	वरीय निजी सहायक	04	00	04	—	
3	निजी सहायक	16	14 (13 नियमित + 01 संविदा)	02	श्रीमती अंजु प्रियदर्शिनी श्री मनोरंजन कुमार श्री विष्णु कुमार जायसवाल मो० केश आजम श्री उत्तम कुमार विश्वास श्री सोनू कुमार सुश्री मीना कुमारी सुश्री रीना कुमारी श्री बसंत कुमार राम श्री ब्रज कुमार राम श्री अणवर अंसारी श्री संजीव कुमार प्रसाद श्री अरुण कुमार श्री शशि भूषण सामंत	संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
4	विधि सहायक	02	00	02	—	
5	उच्च वर्गीय लिपिक	05	00	05	—	

6	निम्न वर्गीय लिपिक	07	00	07	—	
7	टंकक	11	01	10	श्री शंकर प्रसाद	संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
8	दिनचर्या लिपिक	12	01	11	मो. मुख्तार अंसारी	संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
9	चालक	02 नियमित + 04 बाह्य स्रोत से	02 (संविदा) + 03 बाह्य स्रोत से	01	1. श्री श्याम मुण्डा	संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
					2. श्री मन्नु लाल मण्डल	
					3. श्री मुन्ना शर्मा 4. श्री मनोज मुण्डा 5. श्री राजकुमार राम मांझी (बाह्य स्रोत से)	
10	ट्रेजरी सरकार	02	01	01	श्री सुरेश कुमार नायक	संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
11	लेखापाल	01	00	01	श्री मनेन्द्र प्रसाद	संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
12	रोकड़पाल	01	01	00	श्री संतोष कुमार भगत	
13	दफ्तरी सह अभिलेखवाह	02	01	01	श्री सुख विलास उरॉव	संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
14	आदेशपाल (संविदा पर स्वीकृत)	19	12	07	1. श्री मुन्ना राम	संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
					2. श्री राजू एक्का	
					3. श्री मनोज कुमार	
					4. श्री अजित कुमार प्रजापति	
					5. श्री विजय कुमार	
					6. श्री नटवर राय	
					7. श्री लक्ष्मण विन्द	
					8. श्री अरविन्द कुशवाहा	
					9. श्री सलोम मोहम्मद जहाँगीर	
					10. श्री अमित कुमार	
					11. श्री महावीर साहु	
					12. श्रीमती बसन्ती देवी	
15	रात्रि प्रहरी (संविदा पर स्वीकृत)	03	02	01	श्री प्रभु महतो	संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
					श्री धर्मनाथ सिंह	

16	कम्प्यूटर प्रोग्रामर (संविदा पर स्वीकृत)	01	01	00	श्री त्रिभुवन प्रसाद श्रीवास्तव	संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
17	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर (संविदा पर स्वीकृत)	06	02 (बाह्य स्रोत से)	04		निक्सी से बाह्य स्रोत से कार्यरत संविदा भत्ता से वेतनादि का भुगतान।
18	कम्प्यूटर डाटा इन्ट्री सहायक ग्रेड-1 (संविदा पर स्वीकृत)	34	11 (बाह्य स्रोत से)	23		जैप आई0टी0 से बाह्य स्रोत से कार्यरत संविदा भत्ता से वेतनादि का भुगतान।



Centres for Examination [5th CCS (PT)]

